अनुबंध - 1

सीएसआर कार्यकलापों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति संबंधी संक्षिप्त रूपरेखा :

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद् (बाइरैक) भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) द्वारा स्थापित एक गैर–लाभकारी धारा 8, अनुसूची ख, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।

बाइरैक के बोर्ड द्वारा दिनांक 24 फरवरी 2021 को आयोजित अपनी 45वीं बोर्ड बैठक में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति (सीएसआर नीति) को मंजूरी दी गई। बाइरैक की सीएसआर नीति, कंपनी अधिनियम, 2013 तथा कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियमावली, 2014 और ''डीपीई दिशानिर्देश'' के साथ पठित प्रावधानों के अनुरूप तैयार की गई थी।

सीएसआर नीति के लिए विज़न और मिशन संबंधी विवरण :

विजन संबंधी विवरण : बाइरैक, सामाजिक रूप से जिम्मेदार सीपीएसई के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से, अपनी सेवाओं, आचरण और पहलों के माध्यम से समाज और जिस समुदाय में यह संचालित होता है, उसमें मूल्य सृजन को बढ़ावा देना जारी रखेगा, ताकि समाज और समुदाय की निरंतर विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

मिशन संबंधी विवरण : कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप इस नीति का उद्देश्य सामाजिक प्रभाव सृजन करने की दिशा में कार्यान्वयन और निगरानी के लिए अंतर्निहित तंत्र सहित दीर्घ, मध्यम और लघु अवधि में कंपनी की विशिष्ट सामाजिक जिम्मेदारी संबंधी रणनीतियों को विकसित करना है।

2. **सीएसआर समिति की संरचना :** कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 (22 जनवरी, 2021 से लागू) के अनुसार, यदि किसी कंपनी द्वारा व्यय की जाने वाली राशि पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो सीएसआर समिति के गठन की आवश्यकता लागू नहीं होगी और धारा 135 के अंतर्गत प्रदान की गई ऐसी समिति के कार्यों का निर्वहन कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा।

कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 (20 सितंबर, 2022 से लागू) के नियम 3 में आगे संशोधन कर यह उल्लेख किया गया है कि यदि किसी कंपनी में धारा 135 की उप–धारा (6) के अनुसार अपनी अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खाते में कोई राशि है तो सीएसआर समिति का गठन किया जाएगा और उक्त धारा की उपधारा (2) से (6) में सन्निहित प्रावधानों का अनुपालन करेगा।

इसलिए, उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, बाइरैक में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए अव्ययित कोई राशि नहीं है। बोर्ड के निदेशों के अनुसार बाइरैक ने सीएसआर आंतरिक समिति का गठन किया है। समिति की संरचना निम्नानुसार है :

1) अध्यक्ष के रूप में प्रबंध निदेशक;
2) निदेशक (प्रचालन) : सदस्य;
3) निदेशक (वित्त) : सदस्य;
4) कंपनी सचिव : सदस्य।
5) बाइरैक के सभी प्रभाग प्रमुख और परियोजना प्रबंधन इकाई के मिशन निदेशक।

आंतरिक सीएसआर समिति के सदस्य के रूप में सभी प्रभाग प्रमुख।

प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए बाइरैक में प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए परियोजना प्रबंधन इकाइयों, रणनीतिक साझेदारी समूह और तकनीकी समूह के सभी प्रभाग प्रमुखों को आंतरिक सीएसआर समिति का हिस्सा बनने के लिए चयन किया जाएगा।

इसलिए, बोर्ड ने दिनांक 24 नवंबर 2022 को आयोजित अपनी 54वीं बोर्ड बैठक में 15,78,158 ⁄– रुपये के बजटीय आवंटन को मंजूरी दे दी है जोकि वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान सीएसआर कार्यकलापों के लिए पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान किए गए

निवल अधिशेष/लाभ का 2% है, निदेशक मंडल ने प्रबंध निदेशक को सीएसआर आंतरिक समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रस्तावों की जांच करने के लिए अधिकृत किया। इसके अतिरिक्त, सीएसआर आंतरिक समिति के सदस्यों ने इस पर विचार–विमर्श किया और मंजूरी दी कि वित्त वर्ष 2022–23 में 15,78,158/– (पंद्रह लाख अठहत्तर हजार एक सौ अट्ठावन रुपये मात्र) रुपये की सीएसआर निधि को स्वच्छ भारत कोष में दिया जाएगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII (i) में विनिर्दिष्ट सूचीबद्ध कार्यकलापों में से एक है।

3. वेब–लिंक जहां सीएसआर आंतरिक समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का प्रकटीकरण कंपनी की वेबसाइट: www.birac.nic.in पर किया जाता है।

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें) : **लागू नहीं**

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में प्रतिपूर्ति के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्त वर्ष में प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो : **लागू नहीं**

क्र.सं.	वित्त वर्ष	पिछले वित्त वर्षों से प्रतिपूर्ति के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में)	वित्त वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो (रुपये में)
लागू नहीं			

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसतन निवल लाभ : **7,89,07,894/–रुपये**

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसतन निवल लाभ का दो प्रतिशत : **15,78,158/–रुपये**

   (ख) सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या पिछले वित्त वर्ष के कार्यकलापों से उत्पन्न अधिशेष : **लागू नहीं**

   (ग) वित्त वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो : **लागू नहीं**

   (घ) वित्त वर्ष (7क+7ख–7ग) के लिए कुल सीएसआर दायित्व : **15,78,158/–रुपये**

8. (क) वित्त वर्ष के लिए व्यय की गई या अव्ययित सीएसआर राशि :

वित्त वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (रुपये में)	अव्ययित राशि (रुपये में)				
	धारा 135 (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची 7 के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरित राशि		
	राशि	हस्तांतरण तिथि	निधि का नाम	राशि	हस्तांतरण तिथि
रुपये 15,78,158/-	लागू नहीं				

(ख) वित्त वर्ष के लिए सतत परियोजनाओं पर व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में कार्य–कलापों की सूची संबंधी मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	परियोजना हेतु आवंटित राशि (रुपये में)	वर्तमान वित्त वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए सीएसआर खाते में अंतरित की गई अव्ययित राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन की विधि–सीधे (हां/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वयन की विधि	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
लागू नहीं												

(ग) वित्त वर्ष में सतत परियोजना से इतर परियोजनाओं के लिए व्यय की सीएसआर राशि का ब्यौरा :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में कार्यकलापों की सूची संबंधी मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना हेतु आवंटित राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन की विधि– सीधे (हां/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वयन की विधि	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	स्वच्छ भारत कोष में योगदान	मद(i)	नहीं	अखिल भारतीय	अखिल भारतीय	15,78,158	जी हां	स्वच्छ भारत कोष	लागू नहीं
					कुल	15,78,158			

(घ) प्रशासनिक शीर्ष के अतिरिक्त व्यय की गई राशि : **शून्य**

(ङ) प्रभाव मूल्यांकन पर व्यय की गई राशि, यदि कोई हो : **शून्य**

(च) वित्त वर्ष (8ख+8ग+8घ+8ङ) में व्यय की गई कुल राशि : **15,78,158 /– रुपये**

(छ) प्रतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो : **शून्य**

क्रम सं.	विवरण	राशि (रुपये में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	15,78,158/-
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	15,78,158/-
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	शून्य
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	शून्य

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण :

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्ट के वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची 7 के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रुपये में)
				निधि का नाम	राशि (रुपये में)	अंतरण की तिथि	
लागू नहीं							

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष की जारी परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रुपए में)	परियोजना की स्थिति–पूर्ण / जारी
लागू नहीं								

10. पूंजीगत संपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर के माध्यम से सृजित अथवा अर्जित संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (सम्पत्ति–वार विवरण) : लागू नहीं

(क) पूंजीगत सम्पत्ति के सृजन या अधिग्रहण की तिथि : **लागू नहीं**

(ख) पूंजीगत सम्पत्ति के सृजन या अधिग्रहण के लिए व्यय की गई सीएसआर की राशि : **लागू नहीं**

(ग) उस इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि : **लागू नहीं**

(घ) सृजित या अर्जित की गई पूंजीगत आस्ति का विवरण प्रदान करें (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) : **लागू नहीं**

11. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसतन निवल लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में विफल रही है, तो कारण बताएं : **लागू नहीं**

हस्ता/–
डॉ. जितेंद्र कुमार
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन : 07017109

हस्ता/–
एफसीए सुश्री निधि श्रीवास्तव
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 09436809

दिनांक : 27 सितंबर, 2023
स्थान : नई दिल्ली